भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3832
मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तरार्थ

सेवा सहकारी समितियों का कार्यकरण

3832. श्री विजय बघेल:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि जिला सहकारी बैंक, दुर्ग के अंतर्गत कार्यरत सेवा सहकारी समितियों में कृषि ऋणों के संवितरण, उर्वरकों और अन्य कृषि आदानों के वितरण से संबंधित रिकार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रखे जा रहे हैं जिससे इनके कर्मचारियों के साथ-साथ किसानों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार दोहरे रिकार्ड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) रखने के क्या कारण हैं और इस परंपरा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार मौजूदा बैंकिंग प्रणाली के अनुरूप सेवा सहकारी समितियों के सभी कार्यों को पूरी तरह से ऑनलाइन करने और ऑफलाइन अभिलेखों के अनिवार्य रख-रखाव को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ) छत्तीसगढ़ शासन के सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, दुर्ग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिलों की 311 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) में कृषि ऋण, उर्वरक, बीज वितरण तथा अंकेक्षण से संबंधित कार्य ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे हैं। तथापि, कुछ प्रशासनिक एवं वैधानिक आवश्यकताओं तथा सर्वर नेटवर्क संबंधी समस्याओं के कारण कुछ अभिलेखों एवं रजिस्टरों का रख-रखाव अभी भी भौतिक रूप से किया जाना आवश्यक है।

ऋण वितरण एवं कृषि आदानों से संबंधित रजिस्टरों के भौतिक रख-रखाव की समस्या के समाधान हेतु, सहकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य ईआरपी आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से पैक्स को अपने व्यावसायिक कार्यों का संचालन करने में सक्षम बनाकर इस समस्या का समाधान करना है।

पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत अभिलेखों का ऑनलाइन रख-रखाव, पारदर्शी लेखांकन, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) तथा राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के साथ निर्बाध मिलान, ऋणों का त्वरित प्रसंस्करण, लेन-देन लागत में कमी तथा सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

परियोजना को पूर्ण किए जाने की समय-सीमा 31.03.2027 है।
